

प्रेषक,

लहरी यादव,  
 वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,  
 उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,  
 स्थानीय निकाय,  
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर स्थानीय निकायों की वित्तीय वर्ष 2016-17 में आडिट अनुशासन की 5% धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन को प्रेषित आपके पत्र संख्या-8/372/148/चतु0रा0वि0आ0/ संस्तुतियों/2015, दिनांक 23 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में नगरीय निकायों हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रुपये 6412,50,00,000/- के सापेक्ष ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु रोकी गयी 5% धनराशि रुपये 320,62,50,000/- (तीन सौ बीस करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र) निम्नानुसार नगरीय निकायों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये में)

क्र. सं.	निकाय	निकायों की संख्या	आडिट अनुशासन की 5% धनराशि
1.	नगर निगमों हेतु	14	1,28,25,00,000
2.	नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों हेतु	158	1,28,25,00,000
3.	नगर पंचायतों हेतु	290	64,12,50,000
	योग	कुल निकाय 462	320,62,50,000

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों का पालन करते हुए ए.टी.आर. की संस्तुति संख्या-55 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निकायों को धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

क्रमशः-2

(2) निकायों को आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित कर निकायों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यदि किसी निकाय के समायोजन/कटौती की धनराशि शेष है, तो सम्बन्धित निकाय को मिलने वाली उनके हिस्से की धनराशि में से समायोजन/कटौती किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि सम्बन्धित निकाय को आवंटित किया जाय।

(4) निकाय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेंगे तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा:-

क्र.सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धनराशि (रूपये में)
1.	नगर निगमों हेतु	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर- 191-नगर निगमों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”	1,28,25,00,000
2.	नगर पालिकाओं /नगर परिषदों हेतु	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर- 192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”	1,28,25,00,000
3.	नगर पंचायतों हेतु	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”	64,12,50,000
		योग	320,62,50,000

भवदीय,

( लहरी यादव )

वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं  
विशेष सचिव।

क्रमशः-3

संख्या-बी-2-436(1)/दस-2017-1/2016. तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

( लहरी यादव )

वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं  
विशेष सचिव।